न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 617–दो/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–3–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 231/अपील/2005–06

परमानंद पिता बाबूलालजी
निवासी ग्राम खारकलां
तहसील हरसूद जिला खंडवा .....आवेदक

विरूद्ध

रामचंद्रपिता देवरामजी
निवासी ग्राम खारकलां
तहसील हरसूद जिला खंडवा .....अनावेदक

श्री योगेंद्र सिंह भदौरया,अभिभाषक, आवेदक एवं
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: **आ दे श** ::

(पारित दिनांक 29 नवम्बर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश 13–3–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी ग्राम खारकलां हरसूद द्वारा तहसीलदार, टप्पा खालवा, जिला खंडवा के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदक परमानंद द्वारा सर्वे कमांक 660 के रकबा 16x10=160 वर्गफीट पर ठेला लगाकर अतिकमण किया गया है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 391/अ–68/03–04 दर्ज किया जाकर दिनांक 20–10–04 को आदेश पारित कर प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया । तत्पश्चात पुनःश्च कर आदेश पारित किया जाकर प्रकरण इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया कि आबादी क्षेत्रों के विवादों का निपटारा करने हेतु म.प्र. शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिये गये हैं । आवेदक प्रथमतः ग्राम पंचायत में प्रश्नाधीन विवाद के निराकरण हेतु उपस्थित होवें अथवा सक्षम न्यायालय में इसका निराकरण करावें । अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी, हरसूद जिला खंडवा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल किए जाने के आदेश दिये जाने का अनुरोध किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–4–2005 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः संहिता के प्रावधानों के तहत विधिवत निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील कलेक्टर, जिला खंडवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 31–8–2006 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–3–2009 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि सर्वे कमांक 660 रकबा 160 वर्गफीट पर अपना व्यवसाय शुरू किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि आबादी क्षेत्र में संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं होकर ग्राम पंचायत

को है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है, जबकि शिकायत के आधार पर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यदि अनावेदक तहसीलदार के आदेश से व्यथित था, तब उसे विधिवत अपील प्रस्तुत करना चाहिए थी । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किए कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अतिक्रमण के संबंध में शिकायतकर्ता आवश्यक पक्षकार नहीं होता है, इसलिए उसे तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही स्थगित कर दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गए हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रश्न अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं उठाया गया है, इसलिए इस स्तर पर नहीं उठाया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, इसलिए प्रत्येक ग्रामीण हितबद्ध पक्षकार है, और उसे आपत्ति करने का अधिकार है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण अ–68 मद में दर्ज कर कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है । अ–68 मद में संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा संहिता के प्रावधानों के तहत आदेश पारित किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शिकायत के आधार पर निरस्त करने में पूर्णतः

अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, और उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किए कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी आदेश पारित करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिए उनके आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । यदि अनावेदक तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित तथा तब उसे विधिवत संहिता की धारा 44 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए थी । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । यदि तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित आदेश पारित किया गया है, तब स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर स्वतंत्र है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–3–2009 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर